न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–69/2014–15 अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम

श्री धूम सिंह आदि

बनाम

राज्य सरकार आदि

उपस्थितिः श्री राकेश शर्मा, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री सुबोध कुमार शर्मा

अधिवक्ता प्रतिपक्षी राज्य सरकार : श्री विनोद कुमार डिमरी,जिला शास0अधि0(राज0)

बावत

मौजा पदमपुर, पट्टी सुखरौं,
तहसील कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल।

निर्णय

यह निगरानी विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, कोटद्वार गढ़वाल द्वारा राजस्व वाद संख्या–09/2013–14 अन्तर्गत धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम धूम सिंह आदि बनाम चन्दन सिंह आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 02–02–2015 के विरूद्व योजित की गई है।

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्तागण ने वादग्रस्त भूमि की दुरस्ती का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम तहसीलदार, कोटद्वार के समक्ष प्रस्तुत किया। ''तहसीलदार, कोटद्वार ने अपनी जाँच आख्या से विद्वान सहायक कलेक्टर को अवगत कराया कि पक्षकारों की सुनवाई के उपरान्त आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया परन्तु पर्याप्त अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं जिनके अभाव में स्पष्ट आख्या दिया जाना सम्भव नहीं है। जहाँ तक धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत होने का प्रश्न है इस मामले मे प्रतिवादीगणों के नाम विक्रय के आधार पर खतौनी में अंकित हुए हैं और आर–6 में अंकित हुए हैं। तहसीलदार की आख्या के आधार पर सहायक कलेक्टर के न्यायालय में वाद संख्या–09/2013–14 धूम सिंह आदि बनाम चन्दन सिंह आदि दर्ज हुआ। विद्वान सहायक कलेक्टर ने वादीगणों के अधिवक्ता को सुनने के उपरान्त इस विवेचना सहित कि पत्रावली में संलग्न खतौनी के परीक्षण से स्पष्ट नहीं है कि प्रार्थीगणों का नाम कलमी भूल से किस फसली वर्ष की खतौनी में दर्ज होने से त्रुटिवश छूट गया है। फसली वर्ष 1367 से 1391 की खतौनी उपलब्ध न होने के कारण प्राथीगण यह साबित करने में असफल रहे हैं कि उक्त अभिलेखीय त्रुटि कलमी भूल से हुई है निर्णयादेश दिनांक 02–02–2015 से दुरस्ती प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया।'' विद्वान सहायक कलेक्टर, कोटद्वार के निर्णयादेश दिनांक 02–02–2015 के विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में योजित की गई है।

प्रतिउत्तरदाता संख्या–02 व 03 को साधारण डाक, पंजीकृत डाक व समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से सूचना प्रेषित की गई है परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ जिसके फलस्वरूप न्यायालय आदेश दिनांक 21–01–2016 से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

मैंने विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता एवं प्रतिउत्तरदाता राज्य सरकार की ओर से जिला शासकी अधिवक्ता(राजस्व) को विस्तारपूर्वक सुना एवं अवर न्यायालय की वाद पत्रावली में रक्षित अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि निगरानीकर्तागण अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति हैं तथा मजदूरी हेतु घर से बाहर विभिन्न जनपदों में मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का भरण–पोषण करते हैं। निगरानीकर्तागण के पिता श्री रामकृष्ण के नाम ग्राम पदमपुर पट्टी सुखरौं, तहसील कोटद्वार में प्रश्नगत कृषि भूमि जिसमें छप्पर बने हैं जिन्हें निगरानीकर्तागण के पिता ने बनाया था। निगरानीकर्तागण के पिता अथवा निगरानीकर्तागण ने कभी भी प्रश्नगत भूमि को विक्रय अथवा अन्य रूप से उत्तरदातागण अथवा किसी अन्य को कभी भी हस्तान्तरित नहीं की तथा न ही भूमि विक्रय करने हेतु जिलाधिकारी से धारा–157 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत कोई विक्रय की अनुमति प्राप्त की। चूँकि निगरानीकर्तागण मजदूरी हेतु प्रायः विभिन्न जनपदों में मजदूरी हेतु गांव से बाहर रहते हैं तथा समय–समय पर प्रश्नगत भूमि कई बार फसल बोने से रह जाती है जिसका लाभ उठाकर प्रतिउत्तरदातागण संख्या–02 व 03 ने धोखे से राजस्व अभिलेखों में प्रश्नगत भूमि पर अपना नाम दर्ज करा लिया जिसकी जानकारी होने पर तत्काल दुरस्ती का प्रार्थना पत्र सहायक कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रश्नगत भूमि निगरानीकर्तागण के पिता को पट्टे पर दी गई थी। प्रश्नगत इन्द्राज आर–6 पंजिका में दर्ज हैं परन्तु आदेश दर्ज होने की पत्रावली अथवा आदेश भी उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत इन्द्राज धोखे से दर्ज किया गया है जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित है। निगरानी स्वीकार होने योग्य है।

प्रतिउत्तरदाता राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) द्वारा तर्क दिया गया कि प्रश्नगत भूमि पट्टे पर दी गई थी और यदि निगरानीकर्तागण का नाम राजस्व अभिलेखों से निरस्त हुआ है तो उसपर राज्य सरकार का नाम दर्ज होना चाहिए।

प्रकरण में यह स्पष्ट हुआ है कि प्रश्नगत भूमि निगरानीकर्तागण के पिता को राज्य सरकार की ओर से पट्टे पर भूमि प्रदान की गई थी। इस भूमि पर प्रतिउत्तरदातागण का नाम आर–6 पंजिका के आधार पर राजस्व अभिलेखों/खतौनी में अंकित हुआ। प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हुआ कि खाते/अभिलेखों में प्रतिउत्तरदाता संख्या–02 व 03 का नाम किस आधार पर दर्ज हुआ इसका भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और ना नही प्रतिवादीगणों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विक्रय के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पेश किया गया और न ही वे इस न्यायालय अथवा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए। तहसीलदार, कोटद्वार द्वारा सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, कोटद्वार को प्रेषित जांच आख्या दिनांक 29–01–2014 में भी यह स्पष्ट उल्लेख किया गया कि तत्कालीन आदेशित पत्रावली अथवा खतौनी की अनुपलब्धता के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। अतः प्रकरण प्रथमदृष्टया ही संदिग्ध प्रतीत होता है और प्रकरण की विस्तारपूर्वक जाँच की जानी आवश्यक है।

अतः प्रकरण के अवलोकन एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि इस प्रकरण की विस्तारपूर्वक जाँच हेतु प्रकरण जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को इस निर्देश सहित प्रतिप्रेषित किया जाना उचित होगा कि वे वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित अभिलेखों/जारी किये गये पट्टों की गहनता से जाँच करें कि किस आधार पर निगरानीकर्तागणों का नाम राजस्व अभिलेखों से निरस्त हुआ और किस आधार पर आर–6 में अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज हुए। तद्नुसार यह भी सुनिश्चित किया जाय कि पट्टे जारी हुए हैं और यदि मौके पर पट्टधारक काबिज नहीं हैं तो तद्नुसार

उनके विरूद्व विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए भूमि को राज्य सरकार में निहित/दर्ज किए जाने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाय।

आदेश

प्रकरण जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को इस निर्देश सहित प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित अभिलेखों/जारी किये गये पट्टों की गहनता से जाँच करें कि किस आधार पर निगरानीकर्तागणों का नाम राजस्व अभिलेखों से निरस्त हुआ और किस आधार पर आर–6 में अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज हुए। तद्नुसार यह भी सुनिश्चित किया जाय कि पट्टे जारी हुए हैं और यदि मौके पर पट्टधारक काबिज नहीं हैं तो तद्नुसार उनके विरूद्व विधिक कार्यवाही करते हुए भूमि को राज्य सरकार में निहित/दर्ज किए जाने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाय। अवर न्यायालय की पत्रावली जिलाधिकारी, पौड़ी को आदेश की प्रति सहित प्रेषित की जाय। न्यायालय पत्रावली सँचित हो।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 17-03-16 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।